

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा ग्राम अमेरी अकबरी, दगोरी, उड़गन, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट (आयरन ओर बेनिफिकेशन एंड पैलेट प्लांट-1.2 एमटीपीए, ब्लॉस्ट फर्नेस-0.4 एमटीपीए, डीआरआई प्लांट-0.6 एमटीपीए, कोक ओवन (नॉन रिकवरी टाईप) 0.2 एमटीपीए, सिंटर प्लांट-0.4 एमटीपीए, स्टील मेलटिंग शॉप-0.7 एमटीपीए, रोलिंग मिल-0.65 एमटीपीए, ऑक्सीजन प्लांट-400 टीपीडी) कुल क्षमता-1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं 100 मेगावाट कैप्टिव पॉवर प्लांट के के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 29 जून 2012, को पूर्व माध्यमिक शाला का मैदान, ग्राम-अमेरी अकबरी, तहसील-बिल्हा, बिलासपुर के प्रांगण, में संपन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण।

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारा ग्राम अमेरी अकबरी, दगोरी, उड़गन तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट, क्षमता-1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं 100 मेगावाट कैप्टिव पॉवर प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक -29.06.2012 स्थान-पूर्व माध्यमिक शाला का मैदान, ग्राम-अमेरी अकबरी, तहसील-बिल्हा, बिलासपुर का प्रांगण, में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की उपस्थिति में लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई हेतु दैनिक समाचार पत्र नवभारत एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 26.05.2012 के अंक में एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र टाईम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 26.05.2012 के अंक में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कराई गई है। प्रस्तावित इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट की लोक सुनवाई के संबंध में लोक सुनवाई से पूर्व कुल 445 सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में प्राप्त हुई। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवारी तथा बिलासपुर के नागरिकों एवं समाजसेवी संस्थाओं ने भाग लिया।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ईआईए नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् अधिकृत उद्योग प्रतिनिधि को परियोजना के प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया गया। उद्योग की ओर से श्री आर.के.सिकरी, डायरेक्टर द्वारा परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी जन सुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय को दी गई। श्री आर.के. सिकरी निर्देशक द्वारा कार्यपालिक सार में वर्णित तकनीकी जानकारी से जनसमुदाय को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा प्रस्तावित उद्योग के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। जन सुनवाई में आसपास के ग्रामीण जन बिलासपुर के नागरिकों एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित उद्योग के पर्यावरणीय जन सुनवाई में एक-एक कर अपना सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्तियां रखी। जन सामान्य द्वारा निम्नानुसार सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई :-

1. श्री रतन नारंग, ग्राम-अमेरी अकबरी— हमारे गांव में जो प्लांट लगने जा रही है। जिसमें किसान को मुआवजा तो मिल रहा है, हमें भी रोजगार मिलेगा हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। हमारे सपने को साकार करने के लिए हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो।
2. श्री महेश राम ध्रुव, ग्राम-अमेरी अकबरी— हमारे ग्राम के आदिवासी भाईयों के जमीन को पूर्ण मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारे जमीन को 5-6 लाख में लिया जा रहा है। हमारी जमीन को भी 10 लाख रुपये में लिया जाये।
3. श्रीमती इंग्रिड मैक्लाउड, मान. सांसद लोकसभा —विकास खण्ड बिल्हा के अंतर्गत प्रस्तावित जायसवाल नियो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के समन्वित स्टील संयंत्र का आज जनसुनवाई में निम्न बिन्दुओं के आधार पर विरोध दर्ज करें।
 1. शासन के नियमानुसार प्रस्तावित संयंत्र के मूल आवेदन दिनांक 29.02.2012 प्रस्तुत करने के 45 दिवस के भीतर पर्याप्त प्रचार-प्रसार के बाद जनसुनवाई के बाद जनसुनवाई किया जाना चाहिये लेकिन यह जनसुनवाई 45 दिवस के बाद हो रहा है, इसलिये इस जनसुनवाई को अवैधानिक प्रक्रिया माना जाए।
 2. प्रस्तावित संयंत्र के द्वारा लगभग 210.8 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा, जिससे क्षेत्र के किसानों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत खेत छीन जायेगा जिसके कारण आने वाले दिनों में 510 एकड़ भूस्वामी किसान भी बेरोजगार होकर मजदूरी करने एवं पलायन करने के लिये विवश हो जायेंगे।
 3. प्रस्तावित संयंत्र द्वारा लगभग 19800 कि.ली. प्रतिदिन जल का उपयोग किया जायेगा जिसके कारण क्षेत्र की जीवनदायनी शिवनाथ एवं मनियारी नदी सूखने के कगार में आ जायेगी जिससे लोगों को खेती कसानी के लिये पानी तो दूर पीने के पानी के लिये तरसना पड़ेगा।
 4. प्रस्तावित संयंत्र द्वारा क्षेत्र की दो प्रमुख नदी शिवनाथ एवं मनियारी के जल स्रोत को दोहन करने से आसपास के लगभग 50-100 किलोमीटर क्षेत्रफल के जमीनों में पानी का स्रोत गिर जायेगा, जिसके कारण भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा।
 5. प्रस्तावित संयंत्र के स्थापना से आसपास के लोगों की ध्वनि, वायु जल प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा, जिसका उनके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा, संयंत्र से निकलने वाले जहरीले रसायन एवं हानिकारक अपशिष्टों के कारण मानव स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा।
 6. प्रस्तावित भूमि पर नीम, शीशम, बरगद, पीपल, साल, साजा, तेंदू, महुआ, बीजा सेमल, बबूल, सिरिस निलगिरी, आम आदि के हजारों संख्या में वृक्ष लगे हुए हैं जिनको काटने से क्षेत्रीय लोगों की आजविका एवं पर्यावरण एवं पशु पक्षियों पर विपरीत असर पड़ेगा।
 7. प्रस्तावित स्थल के मुख्य मार्ग रायपुर रोड में हाईकोर्ट एवं फोरलेन आने के बाद आसपास के क्षेत्रों के जमीनों की कीमत लगभग 50 लाख रु. एकड़ हो गई है, लेकिन प्रस्तावित संयंत्र के द्वारा किसानों को इससे न्यूनतम दर पर भूमि अधिग्रहित करके मुआवजा का भुगतान किया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति होगी, इसलिये संयंत्र स्थापना जनहित में न्यायोचित नहीं होगा।

8. प्रस्तावित संयंत्र द्वारा अपने निजी लाभ के लिये क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाईट आदि का दोहन किया जाएगा, जिसका पर्यावरणीय प्रभाव आने वाले दिनों में देखने मिलेगा।
9. प्रस्तावित स्थल पर आयात निर्यात के लिये भारी वाहनों का उपयोग किया जायेगा, जिससे जनहानि होने की संभावना बढ़ जायेगी।
10. मनियारी नदी परियोजना स्थल से पश्चिम की दिशा में लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, तालागांव में मनियारी नदी के बांये किनारे पर सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व का देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है, यह एक प्राचीन मंदिर है जो पुरातात्विक महत्व का है, जहां एक ओर इस स्थल को पर्यटन की दिशा में विकसित करने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार करोड़ों खर्च कर रही है वहीं दूसरी ओर इस ऐतिहासिक स्थल के समीप संयंत्र स्थापना से इस क्षेत्र की महत्वता समाप्त हो जायेगी।
11. शासन के नियमानुसार पर्यटन स्थल को प्रदूषण मुक्त होना चाहिये, जहां लोगों को स्वच्छ वातावरण एवं पीने के शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिये, प्रस्तावित संयंत्र स्थापना से और संयंत्र के अपशिष्ट पदार्थों से नदियों का पानी उपयोग में लाने लायक नहीं रहेगा, साथ ही वातावरण भी प्रदूषण मुक्त नहीं रहेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विरोध दर्ज करते हुए प्रस्तावित संयंत्र स्थापना को अविलंब जनहित में रोका जाना उचित होगा।

4. श्री लखन लाल सूर्यवंशी, ग्राम-दगौरी – मेरी जमीन कंपनी को दिया गया है। मेरा पर्वी गुम गया है। 3 हजार में वकील लगाया गया है। वकील को जो पैसा दिया हूँ वह कंपनी द्वारा मुझे वापस मिलना चाहिए।
5. श्री प्रवीण पटेल, डायरेक्टर, ट्रायबल वेलफेयर सोसायटी ईस्ट जोन– कंपनी को बताना चाहिए कि ईआईए नोटिफिकेशन में क्या क्या दुष्प्रभाव होगा। सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। यह गलत है इसका विरोध है। जमीन की कीमत 50 लाख का डिमांड किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। प्रतिदिन जो पानी लिया जा रहा है इतना पानी क्या शिवनाथ नदी में है। इस बारे में किसानों से चर्चा की गई है क्या? किसानों से क्या बात की गई है? किसानों का पानी सूख रहा है। पानी के लिए यहां लड़ाई झगड़े होंगे। मिलेट्री कैंप आ रहा है हाई कोर्ट आ रहा है जमीन का पानी इन्हें दिया जायेगा कि कंपनी को दिया जायेगा? स्वच्छ पानी किसानों को देने की पहली प्राथमिकता है। बाद में उद्योग को दिया जाना चाहिए। कंपनी यहां ऑक्सीजन प्लांट लगायेगी। यहां का हवा लिया जायेगा। 72000 क्यूबिक मी. प्रतिघंटा के हिसाब से लिया ऑक्सीजन लिया जायेगा और अन्य गैसों का छोड़ा जायेगा। यहां स्वच्छ जल हवा मिल नहीं पा रहा है। यह सब असंवैधानिक है। सड़क इतनी चौड़ी नहीं है। क्या यहां हजारों टन कोयला लाने के लिए रोड की कैपेसिटी है? लोहा पत्थर और डोलोमाईट यहां लाखों टन आयेगी। लोगों से बात नहीं की गई कि आपके खेत से पानी, लोहा लेकर जायेंगे? कंपनी 2000 लोगों को रोजगार देने की बात कहती है। क्या इतने लोगों को रोजगार दे पायेंगे? रोजी मजदूरी के लिए कोई आवाज उठाता है तो उसे भगा दिया जाता है? ऐसा नहीं किया जायेगा इसकी क्या गारण्टी है। राख लेने हेतु पहले सेंचुरी सिमेंट के साथ एग्रीमेंट

किया जाये। छ.ग. के संसाधनों को लूटा जा रहा है। यहां की जनता जाग रही है अब यह सब बदलेगी। किसी भी हालत में यहां प्लांट लगना हम नहीं चाहते हैं।

6. श्रीमती अनुसूया सोनी, सरपंच, अमेरी अकबरी – यहां जो बात कही गई है उस संबंध में जो कहा गया है। यहां किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि कंपनी को दिया गया है। कोई धोखाधड़ी नहीं किया गया है। ग्रामसभा का आयोजन कर स्वेच्छा से किसानों द्वारा जमीन दिया गया। किसानों से पूछा जा सकता है। पूर्व में कांग्रेस के शासन कार्यकाल में लोक सुनवाई नहीं किया गया था। आज प्रति एकड़ 8 लाख के दर से मुआवजा दिया जा रहा है। कंपनी के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है, स्वास्थ्य, पेयजल, एवं अन्य सुविधाएं दी जा रही है। मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
7. श्री प्रेमकुमार गेंदले, उडगन – निको कंपनी द्वारा किसानों को जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसमें पुनर्वास के तहत उसको नौकरी दी जायेगी ऐसा नहीं लिखा गया है। कब समय आयेगा तो कब नौकरी दिया जायेगा। कंपनी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र में पुनर्वास के तहत सुनिश्चित नौकरी दिया जायेगा ऐसा लिखा जाये।
8. श्री केशव लहरे, दोड़की – सांसद महोदया के विचारों का समर्थन करते हुए इस जन सुनवाई की कार्यवाही रद्द करने की अपील करता हूँ। छ.ग. शासन द्वारा 29 अप्रैल 2005 को बिल्हा औद्योगिक क्षेत्र के 9 गांवों को औद्योगिक क्षेत्र हेतु 2000 एकड़ भूमि शासन को दिये जाने हेतु शासन अधिग्रहित किये जाने हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई है। इस आधार पर हमने आवेदन दिया गया था जिसके आधार पर इस हेतु कोई भी ग्रामवासियों के द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। जो आज लंबित है। लंबित होने के कारण कंपनी इसे किस प्रकार अधिग्रहित कर सकती है। 9 ग्रामवासियों एवं छ.ग. शासन के बीच अधिसूचना लंबित है उस आधार पर यह कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए। ग्राम अमेरी अकबरी में जन सुनवाई अवैध है। इस संबंध में मेरा आवेदन प्रस्तुत है।
9. श्री देवीलाल जांगड़े, उडगन – अमेरी उडगन में निको कंपनी खुल रहा है। किसानों की खेती को लिया गया है। हम कहीं काम नहीं कर सकते हैं। नौकरी देने की बात कही गई है। हमारे अमेरी अकबरी में कंपनी खुलना चाहिए। रोड, बिजली, स्वास्थ्य का साधन मिलना चाहिए।
10. श्री परमेश्वर कौशिक, सरपंच-दगौरी – कंपनी द्वारा अमेरी अकबरी, दगौरी, उडगन में आवेदन प्रस्तुत किया गया। हम सर्वसम्मति से कंपनी का समर्थन किया गया। बाहर के लोग भड़काने वाला बात करते हैं। हमारे क्षेत्र के बच्चों को कोई नौकरी देता है। हमारी एक ही मांग है लाईट, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। हमारी जमीन बंजर है। अमेरी अकबरी, दगौरी, उडगन के किसानों द्वारा ध्वनि मत से कंपनी का समर्थन करते हैं। उद्योग खुलने से हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ कंपनी खुलना चाहिए।
11. श्री समयलाल जांगड़े, उपसरपंच अमेरी अकबरी – निको कंपनी जो यहां किसानों की कंपनी को खरीदने का प्रयास कर रही है वह सफल होगा। 8-10 लाख एकड़ पर जमीन खरीदा जा

रहा है हम जमीन देंगे। हमारे गांव का विकास होगा, सीसी रोड निर्माण, बिजली सुविधा, शिक्षा सुविधा, रोजगार मिलेगा। मैं कंपनी का पूरा समर्थन करता हूँ।

12. श्री समारू बंजारे, अमेरी अकबरी – कंपनी खुलने के बाद कितने आदमी को नोवा कंपनी ने नौकरी दिया है? तो किस आधार पर निको कंपनी कितने लोगों को रोजगार देगा? मैं समर्थन नहीं करता।
13. श्री विनोद कुमार निषाद, अमेरी अकबरी – प्लांट लगने पर आपत्ति बाबत। प्लांट लगने पर आपत्ति है। गामों में वायु प्रदूषण फैलेगी जिससे बिमारी का खतरा बढ़ेगा। किसानों से लगभग 100 एकड़ जमीन खरीदी गई है। किसानों को जमीन बिक्री का उचित मुआवजा नहीं मालूम है जिससे किसानों को मंजबूरी में जमीन देना पड़ा। नोवा कंपनी द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे ग्रामवासी संतुष्ट हो इस आधार पर कंपनी नहीं लगना चाहिए। इस क्षेत्र में जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो जायेगी। महोदय से निवेदन है कि उक्त कंपनी को इस क्षेत्र में लगने से रोका जाये।
14. श्री रोशन कुमार निर्मलकर, अमेरी अकबरी – कृषि भूमि में कोई प्लांट नहीं लगता है लेकिन यहां कृषि भूमि पर प्लांट लगाया जा रहा है। डॉ रमन सिंह ने 30 लाख एकड़ में जमीन दिया गया था लेकिन यहां 8 लाख एकड़ में जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहां विकास संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया है। यहां के लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया गया है लेकिन यहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। पहले फुल सुविधा दिया जाये फिर कंपनी स्थापित किया जाये। रोड में गाड़िया चल रही है जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। आदिवासी को 5 लाख, पिछड़ा वर्ग को 8 लाख एकड़ दिया जा रहा है। सभी को एक समान रेट मिलना चाहिए। हमारा आग्रह है कि यहां कंपनी नहीं लगना चाहिए।
15. श्री दीपक यादव, अध्यक्ष युवा कांग्रेस ग्रामीण, अमेरी अकबरी – कंपनी का हम पूर्णता विरोध कर रहे हैं। कंपनी खुलने से कृषि भूमि का रकबा कम हो जायेगा। लोगों को यहां से पलायन करना पड़ेगा। जल संकट बढ़ेगा। शिवनाथ नदी से कंपनी को पानी दिये जाने से यहां जल संकट हो जायेगा। लोगों को निस्तारी की समस्या हो जायेगी। प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। पड़ों की कटाई की जायेगी। कृषि भूमि के कम होने से बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जायेगी। कंपनी का हम पुरजोर विरोध करते हैं।
16. श्री महेंद्र कुमार घोसले, उडगन – गांव में पानी है कि नहीं इसे ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पेड़ पहले से काटे जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि कंपनी हमारे गांव में स्थापित हो। हम बेरोजगार हैं। कंपनी हमें रोजगार देगी। मैं इस कंपनी का पूरा समर्थन करता हूँ। कंपनी लगना चाहिए।
17. श्री प्रशांत अग्रवाल, बिल्हा – मैं प्रोजेक्ट के पक्ष में हूँ। पर मेर कुछ सवाल है। हम जमीन दे रहे हैं जमीन देने के बाद कंपनी हमें नहीं पूछेगी। हमें एक्विटी शेयर दी जाये। यदि हम भूमि

दे रहे हैं तो 20 प्रतिशत सपोर्ट कंपनी का कर रहे हैं। अगर हम व्यवसाय के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं तो हमें भी मालिक बनाया जाये। सभी को कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर दिया जाये तो कंपनी को उनकी बातें सुनना मजबूरी होगी। हम अपना अंश कंपनी को दे रहे हैं तो कंपनी को चाहिए कि वह भी अपना अंश हमें दे। हम नौकर बनने नहीं जा रहे हैं हम मालिक बनना चाहते हैं। मालिक बनने के बाद कंपनी हमारी बात को इग्नोर नहीं कर सकती। कंपनी हमें हमारा अंश ले रही है उसके बदले में हमें बराबर का हक दे। हमारी बातों को मैनेजमेंट के पास रखा जाये और इसे जोरदार तरीके से उठाया जाये।

18. श्री मथुरा यादव, दगौरी — हम किसान लोग जब कंपनी को जमीन दे रहे हैं तो बाहरी लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है? किस रेट से देंगे इसे हम निर्धारित करेंगे। पहले 2 लाख में जो जमीन नहीं लेता था उसे आज 8 लाख में लिया जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि कंपनी यहां आ रही है और हमें रोजगार दे रही है। बाहर के लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकारी सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती है। इसलिए मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।

19. श्री दिलीप कुमार गंगोत्री, अमेरी अकबरी — जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसे नौकरी जरूर मिलेगा। कंपनी का माहौल फ़ैमिलियर है। आज कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। सभी पढ़े लिखे लोगों के साथ न्याय होगा और कंपनी उसे रोजगार दिया जायेगा। हम उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जो स्वार्थ वश कंपनी का विरोध कर रहे हैं। अतः मैं ग्रामवासियों से निवेदन है कि खुले दिल से कंपनी का समर्थन करें। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। इस प्लांट के खुलने से सभी के रोजगार के अवसर मिलेंगे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। प्लांट खुलने से ग्रामवासियों को फायदा होगा।

20. श्री भृगु प्रसाद गेंदले, उडगन — यहां प्लांट स्थापित होने जा रहा है यह हमारे लिए अच्छी बात है। आज प्लांट खुलने से ग्रामवासियों के बच्चों एवं उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बाहर वाले यहां आकर कुछ भी बोला जा रहा है उसे बोलने का बोलने का हक नहीं है। यह स्थानीय ग्रामीणों का हक है। कंपनी में गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा, रोड की सुविधा मिलेगी। ग्रामीण किसान खेती कर अपना जीवनयापन पूरी तरह से नहीं कर सकते। प्लांट आने से गांव का विकास होगा। प्लांट आने से राज्य का विस्तार, क्षेत्र का विस्तार एवं गांव का विस्तार होगा। इसलिए प्लांट आना चाहिए।

21. श्री नरेंद्र कुमार सोनी, दगौरी — कंपनी को अमेरी, उडगन एवं दगौरी द्वारा समर्थन किया गया है। किसानों की जमीन दिया गया है और कंपनी द्वारा लिया गया है इससे लोगों को क्या आपत्ति है? कंपनी खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे सब ठीक होगा।

22. श्री भगवती प्रसाद, उडगन — कंपनी खुलना चाहिए। बिजली, पानी की सुविधा मिलनी चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ।

23. श्री अनिल कुमार गेंदले, उडगन – मेरा कंपनी से कोई आपत्ति नहीं है। कंपनी अपना प्लांट खोल सकती है। मेरा समर्थन है।

24. श्री रामायण यादव, पौंसरी – हमारा गांव दगोरी, अमेरी अकबरी के आश्रित गांव है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के किनारे कोई कंपनी खुले। पानी की कमी है प्रदूषण की समस्या है। हम चाहते हैं कि हमें भी रोजगार मिले। यहां का जल स्तर बहुत कम है।

25. श्री रेखा कोसले, उडगन – हमारा समर्थन है। हमें काम चाहिए।

26. श्री उर्मिला, उडगन – कंपनी खुलना चाहिए।

27. श्री ममता गेंदले, उडगन – मैं निको कंपनी का समर्थन करती हूँ। यहां कंपनी खुलना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

28. श्री रेमुन गेंदले, उडगन – कंपनी का समर्थन है।

29. श्रीमती सुख बाई भारद्वाज, उडगन – हमारे बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। कंपनी खुलना चाहिए। समर्थन।

30. श्रीमती भगवती, उडगन – यहां कंपनी खुलना चाहिए। हमारे बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए।

31. श्रीमती मनोजबाई भारद्वाज, – कंपनी का समर्थन।

32. श्री रेशम, उडगन – मेरे बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। कंपनी खुलना चाहिए।

33. श्रीमती भगवती जांगड़े, उडगन – हमारे गांव में कंपनी खुलना चाहिए। पानी, सीसी रोड की व्यवस्था होना चाहिए।

34. श्रीमती सत्यवती जांगड़े, उडगन – निको कंपनी खुलना चाहिए। समर्थन।

35. श्रीमती लखनी, उडगन – मेरे बाल बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। तलाब में पानी नहीं है। गांव में पानी की समस्या है। रोड को बनाना चाहिए। समर्थन है।

36. श्रीमती सावित्री जांगड़े, उडगन – हमारे बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। कंपनी खुलना चाहिए।

37. श्री धनुष राम पांडे, उप सरपंच, पौंसरी – कंपनी खुलने में मेरा कोई आपत्ति नहीं है।

38. श्री अशोक निरी, उडगन – हमे कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां जो बोल रहे हैं क्या उसका जमीन निकला है? जिनका जमीन निकला है उससे पहले पूछा जाये? हम अपने रेट से जमीन देंगे। क्या सभी को जॉब दे रहे हैं? यदि हमारे पास जमीन रहेगा तो उस जमीन से हमारा पीढ़ी चलता रहेगा। इसके आधार पर जमीन दिया जाये।
39. श्री नंद कुमार सन्नाड, दगौरी – बहुत पहले इस क्षेत्र में नोवा कंपनी खोला गया। सभी लोगों को आपेक्षा थी कि कंपनी से लाभ मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जिन किसानों की जमीन निकला था उसे नहीं मिल पा रहा है। कंपनी खुले इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नोवा कंपनी जैसी विसंगति इस कंपनी में नहीं होना चाहिए। वेतन मजदूरी विसंगति नहीं होनी चाहिए। नोवा कंपनी जमीन का रेट 12-13 लाख रुपये में खरीद रही है और निको कंपनी 6-8 लाख में खरीद है यह विसंगति नहीं होनी चाहिए। निको कंपनी द्वारा गांव की मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाये। कंपनी के विरोध में आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहते हैं। मैं अपनी जमीन कंपनी को देना चाहता है जो शासन को रेट है उसे दिया जाये।
40. श्री हेमंत मिश्रा, दगौरी – यहां उद्योग लगना चाहिए। नोवा कंपनी द्वारा जनता के साथ व्यवहार किया गया है वैसा उद्योग नहीं लगना चाहिए। जितने लोगों का जमीन लिया गया है उसके बच्चों को रोजगार दिया जाये।
41. श्री श्याम सुंदर सन्नाड, दगौरी – पहले से दोनों पंचायत में प्रस्ताव हो चुका है। आम बैठक में किसानों को बुलाकर सहमति हो चुका है। हमें कंपनी खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।
42. श्री वेदराम टंडन, दगौरी – मैं निको कंपनी को समर्थन देता हूँ। प्लांट जल्द से जल्द लगे।
43. श्री गणेश राम, उडगन – कंपनी को जमीन दिया है। कंपनी जल्दी चालू करें। हमें नौकरी दिया जाये।
44. श्री धनेश कुमार कुर्रे, सेंदरी – मैं एम.ए. पास हूँ। आज मैं 40 साल का हो चुका हूँ। मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिला है। आज सभी जगह प्लांट खुला है। सभी लोगों को रोजगार मिला है। हमें रोजगार चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाये। हम कंपनी का विरोध नहीं करते हैं। नौकरी चाहिए और नौकरी के साथ गारंटी चाहिए कि सभी लोगों को रोजगार मिले।
45. श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला, तिफरा—यह लोक सुनवाई 45 दिवस के बाद किया जा रहा है यह असंवैधानिक है। हम कंपनी के विरोध में नहीं हैं। प्लांट लगे लेकिन ये सारी बातें तय होनी चाहिए। 3-4 कि.मी. की दूरी पर पुरातात्विक महत्व का मंदिर है। जो रिपोर्ट दिया है इसमें कोई नक्शा एवं खसरा नं. नहीं दिया गया है। हम यहां एयरपोर्ट भी चाहते हैं। क्षेत्र में पूर्व में स्थापित नोवा संयंत्र जिसके कारण देवरानी जेठानी मंदिर एवं फसल आदि का परीक्षण क्यों नहीं कराया गया? पहले परीक्षण होना चाहिए। यहां सल्फर, नाइट्रोजन के आक्साइड का

परीक्षण नहीं कराया गया। पहले इसका परीक्षण कराया जाना चाहिए। कंपनी का हम बहुत जबरदस्त विरोध करेंगे। हम रोज की लड़ाई लड़ेंगे। परियोजना को शिवनाथ नदी से पानी लेना बताया गया है। प्रतिदिन 20000 कि.ली. इतना पानी लेंगे तो किसानों को पानी कहां से देंगे। हमारे लोग पानी के लिए तरसेंगे। पूर्व में स्थापित नोवा संयंत्र सामाजिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वादे किया गया था। आईआईटी खोलने के बाद कही गई थी लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया है। निको कंपनी भी वादा करेंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे। निको कंपनी हर आदमी को रोजगार देने की बात कह रहे हैं तो यह कैसे दिया जायेगा ये अभी स्पष्ट होना चाहिए। ये तीन गांव के भोले भाले जनता की बात नहीं है यह पूरे क्षेत्र की बात है। यह प्रोजेक्ट 3 गांव का नहीं है इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। किसानों का मुआवजा तय करे, रोजगार दिलाने की गारंटी तय करे। किसानों का खेत कंपनी लेगा तो वे मजदूर कहां जायेंगे? इस ओर ध्यान दिया जाये। मैं आपके भले की बात करने आया हूँ। विकास कैसे होगा इसका पूरा खाका बनना चाहिए।

46. श्री किशोर कुमार बंजारे, अमेरी अकबरी - हमारे भाठा का जमीन पहले 60 हजार 70 हजार रुपये था। मैं अपनी जमीन 8 लाख एकड़ में बेचा हूँ। इस पैसे घर बनाया हूँ, गाड़ी खरीदा हूँ। खेत खरीदा हूँ। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।

47. श्री आनंद मिश्रा, मुंगेली - हमारा अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज को इस इलाके में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दी जाये। आज की जन सुनवाई असंवैधानिक है। 3 माह पहले लोगों को सूचनाएं देनी थी आज सूचनाएं दी गई है। कितने लोगों को राजगार देंगे नहीं बताया जा रहा है। आप नौकरी नहीं देने चाहिए। अगर नौकरी मिलती तो सभी स्थानीय लोगों को नौकरी मिलती। शिवनाथ का नदी 3 गांव का पानी नहीं है। पूरे क्षेत्र का पानी है। शिवनाथ में पानी इतना है ही नहीं। महिलाएं बोलना चाहती हैं लोग उनको बोलने से रोक रहे हैं। लिखित में आपत्ति दर्ज की गई है।

48. श्री रेशम लाल, उडगन - कंपनी खुल रहा है। 8-10 लाख में खेत बेचा गया है। हर घर में नौकरी लगाने की बात कंपनी कह रही है। नोवा कंपनी का समर्थन है।

49. श्री जगदीश कुमार गेंदले, उडगन - सड़क की सुविधा का विकास पहले होनी चाहिए। बिजली की सुविधा मिलना चाहिए। उसके बाद कंपनी का समर्थन है।

50. श्री सियाराम कौशिक, पूर्व विधायक - मैं कंपनी का समर्थन कर रहा हूँ। दगौरी, अमेरी अकबरी, उडगन यह बेल्ट पथरीली बेल्ट है। मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को इण्डस्ट्री ग्रोथ सेंटर बनाने का प्रावधान था। पूर्व में मुआवजा 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ घोषित किया गया था। इस क्षेत्र में कंपनी आने के बाद जमीन का दर बढ़ा है। यहां ट्यूबवेल कराते हैं तो पानी नहीं मिल पाता है। आज कंपनी के आने के बाद यहां की जमीन का रेट 8-10 लाख हो गया है। आज कंपनी 150 एकड़ जमीन किसानों का खरीद लिया गया है। कंपनी में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अन्य गांव में जाकर हमारे किसान भाई खेत कर उन्नत किस्म का खेती करेंगे इसलिए कंपनी का मैं समर्थन करता हूँ।

51. श्री सुरेश कुमार तिवारी, गोढ़ी – मैं एक मांग करना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र अकाल क्षेत्र है। अन्य जमीन में सिंचाई की सुविधा करें। इन गांवों के बेरोजगारों को नौकरी मिलना चाहिए। मैं किसानों को कहना चाहता हूँ कि कंपनी का समर्थन करें।
52. श्री देवानंद पात्रे, अमेरी अकबरी – निको प्लांट से धोखा नहीं होना चाहिए। मजदूर को ध्यान दिया जाये।
53. श्री जवाहर साहू, दगौरी – समर्थन।
54. श्री नरेन्द्र कुमार, दगौरी – मैं 4 माह पूर्व अकेला आपत्ति किया था। यह प्रस्ताव केंद्र से स्वीकृत होकर आया। राज्य से होकर जिला एवं पंचायत में प्रस्ताव पास होकर आया है। आपत्ति किस बात का है। मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूँ। कंपनी से अनुरोध करता हूँ कि हमारी मुलभूत समस्या को हल करें।
55. श्री लक्ष्मीनारायण, उडगन – कंपनी खुलना चाहिए। हमें नौकरी मिलनी चाहिए।
56. श्री पुरुषोत्तम सोनी, अमेरी अकबरी – कंपनी का समर्थन। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अच्छी शिक्षा मिलेगी। गांव का विकास होगा।
57. श्री गिरधारीलाल निर्मलकर, अमेरी अकबरी – सभी किसानों को रोजगार मिलेगा। नोवा कंपनी जैसा यह न करें। नोवा कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाये।
58. श्री दारा सिंह गेंदले, – समर्थन।
59. श्री भीम प्रसाद, – कंपनी का विरोध करता हूँ। नोवा कंपनी 14 वादा किया गया था। आज तक एक भी वादा कंपनी द्वारा नहीं निभाया गया है।
60. श्री दिलीप कुमार जांगड़े, उडगन – समर्थन।
61. श्री आनंद कुमार जांगड़े, उडगन – कंपनी खुलना चाहिए। जिसका जमीन नहीं है उसे भी नौकरी में रखा जाये। समर्थन।
62. श्री फिरंता निर्मलकर, अमेरी अकबरी – निको का समर्थन नहीं दूंगा।
63. श्री संजय कुमार मिरी उडगन – समर्थन।
64. श्री फूलदास धृतलहरे, उडगन – निको कंपनी को समर्थन देना चाहता हूँ।

65. श्री करणदास, उडगन – नौकरी मिलना चाहिए या मेरे बच्चों को मिलना चाहिए।
66. श्री आदित्य मनहर, उडगन – निको कंपनी को मेरा समर्थन है कंपनी यहां का विकास करे।
67. श्री संतोष कुमार जांगड़े, उडगन – समर्थन है।
68. श्री मनीष कुमार जांगड़े, उडगन – निको कंपनी को समर्थन देता हूँ।
69. श्री सीताराम ध्रुव, अमेरी अकबरी – आदिवासी को उचित मूल्य मिलना चाहिए सही समर्थन मूल्य दिया जाए। कंपनी का समर्थन है।
70. श्री अजीत कुमार टंडन, दगौरी – जिस जमीन में 5 लोगो का नाम है उसमे सिर्फ को नौकरी न देकर सभी को नौकरी दे। समर्थन है।
71. श्री छोटे लाल शर्मा अमेरी अकबरी – शिक्षा के क्षेत्र मे ध्यान रखते हुए स्थानीय बेरोजगारों को महत्व देवे इसी आधार पर हम निको का समर्थन करता हूँ।
72. श्री ओमप्रकाश निर्मलकर अमेरी अकबरी – समर्थन।
73. श्री गौतरहीया निषाद अमेरी – समर्थन।
74. श्री श्रवण टंडन उडगन – निको कंपनी को मैं समर्थन देता हूँ।
75. श्री सुरेश यादव अमेरी अकबरी – निको कंपनी को समर्थन देता हूँ।
76. श्रीमती सुखबाई अमेरी अकबरी – निको कंपनी खुलना चाहिए।
77. श्रीमती उर्मिलाबाई – कंपनी खुलना चाहिए।
78. श्रीमती चंदा अमेरी – नौकरी मिलना चाहिए कंपनी खुलना चाहिए।
79. श्रीमती गौरी मिरी, अमेरी – निको कंपनी खुलना चाहिए मेरे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए।
80. श्री नर्मदा, दगौरी – कंपनी खुलना चाहिए मेरे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए।
81. श्रीमती कुमारी बाई टंडन, दगौरी – हम खेते बेचे है तो हमें नौकरी देना चाहिए हमारे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए।
82. श्रीमती कली बाई बंजारे दगौरी – खेती दिए है हमारे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए समर्थन।
83. श्रीमती अमृत बाई लहरे, दगौरी – हमारे बच्चों को निको कंपनी मे नौकरी मिलना चाहिए।
84. श्रीमती गीता बाई, पंच उडगन – कंपनी में समर्थन। बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए।

85. श्रीमती पंच बाई धृतलहरे, पंच 16 वार्ड, उडगन – निको कंपनी को मेरा समर्थन देती हूँ। गांव में बोर होना चाहिए, गली पुरा किचड़ है तो सब की सुविधा होनी चाहिए।
86. श्रीमती आरती बाई, उडगन— कंपनी को समर्थन है मेरे चार बच्चों है और पूरी जमीन ले रहे है सभी बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। समर्थन है।
87. श्रीमती झुमलाबाई उडगन—समर्थन है बच्चा ला नौकरी मिलना चाहिए।
88. श्री संतोष कौशिक, बिलासपुर – औद्योगिक के लाभ हानि दोनों है हमें सभी ओर ध्यान देना होगा। किन कारणों से किसान अपने जमीन को बेचने के लिए मजबूर है। क्या हम छोटे उद्योग को बढ़ावा नहीं दे सकते। यदि किसी कृषक के पास 1 एकड़ का खेत है उसमें चार लोग आश्रित है उसमें कंपनी एक लोग को तो नौकरी देगे लेकिन जो मजदूरी कर रहे है उनका क्या होगा। उद्योग लगने से पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कंपनी यदि वादा करती है कि किसी परिवार में 4 लोग है तो सभी को नौकरी दे तब मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूँ। मैं कंपनी से आश्वासन चाहता हूँ लिखित में चाहता हूँ कि सभी को नौकरी दे। हर परिवार के व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा मिलता है तो मैं कंपनी को समर्थन देता हूँ। जल कि समस्या है तो नदी का जल गर्मी में सुख जाता है जब कोल वासरी होगा तो उसका प्रदूषण नदी में जाएगा जिससे हमें बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे लोकल आदमी को मजदूरी मिलना चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ की सभी से वादा किया जाए हर परिवार के लोगो को नौकरी दिया जाए। लिखित में एग्रीमेंट किया जाए। कंपनी अपने वादा पर रहती है तो हम कंपनी को समर्थन देते हैं। वर्धा प्लांट और एनटीपीसी प्लांट से बिलासपुर का तापमान बढ़ गया है।
89. श्री समेलाल निर्मलकर, अमेरी अकबरी – मैं कहना चाहता हूँ कि कंपनी खुलने से लाभ और हानि दोनों होती है। इसलिए मैं कहता हूँ निको कंपनी को यहां से मैं समर्थन देता हूँ यहां से सभी को नौकरी प्राप्त होगी। गांव का विकास होगा, लोगो का विकास होगा।
90. श्री महेत्तर, उडगन – गांव में पानी की समस्या है। हमारे गांव की गली को बनाया जाये। समर्थन।
91. श्रीमती रवि कुमारी, उडगन – कंपनी खुलना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए।
92. श्रीमती जानकी डहरिया, उडगन – हमारे गांव में पानी की तकलीफ है। तलाब बनना चाहिए बोर होना चाहिए। हमारा जमीन नहीं है। हमारे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए।
93. श्रीमती खेल कुमारी, उडगन – समर्थन।
94. श्रीमती मोंगरा बाई, उडगन – खेती नहीं है। मेरे बेटे को नौकरी मिलना चाहिए।
95. श्रीमती रोहिणी कुमारी, उडगन – निको कंपनी को समर्थन। रोजगार मिलना चाहिए।
96. श्री चैतराम, उडगन—निको ला समर्थन है।
97. श्रीमती जानकी, अमेरी – मेरे तीनों बेटे को नौकरी मिलना चाहिए।
98. श्रीमती कमला बाई डहरिया, अमेरी – मेरे बाल बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए।

99. श्रीमती संतरा बाई, अमेरी - 12 एकड़ खेत मैं कंपनी को दे चुकी हूँ। अभी तक मेरे बेटों को नौकरी नहीं मिली है। एक भी जमीन मेरे पास नहीं है। मेरे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए।
100. श्रीमती इंदारानी, अमेरी - कंपनी को खेत दे चुकी हूँ। नौकरी मिलनी चाहिए।
101. श्रीमती गनेशिया बाई रात्रे, अमेरी - कंपनी खुलना चाहिए। मेरे बाल बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए।
102. श्रीमती गीता बाई, उडगन - कंपनी को खेत दी हूँ। नौकरी चाहिए।
103. श्रीमती रामबती जांगड़े, उडगन - नौकरी मिलना चाहिए।
104. श्रीमती संतोषी बाई, - खेती नहीं है। नौकरी चाहिए।
105. श्री मोहन मनहर, उडगन - मैं जमीन दिया हूँ। 4 लड़का है। चारों को नौकरी मिलना चाहिए।
106. श्री दुकालू राम निषाद, अमेरी - जमीन कंपनी को दिया हूँ। नौकरी चाहिए।
107. श्री गेंदू राम यादव, अमेरी - मैं कंपनी को जमीन दे चुका हूँ। 3 भाई हैं। तीनों को नौकरी दिया जाये। समर्थन।
108. श्री राधेश्याम, दगौरी - कंपनी को समर्थन।
109. श्री शंकर सूर्यवंशी, दगौरी - कंपनी से जुड़ा हूँ। कंपनी को समर्थन है। मेरे बाल बच्चों को भविष्य अच्छा होगा।
110. श्री शारदा प्रसाद निषाद, अमेरी - मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। मेरे लड़कों को नौकरी मिलना चाहिए।
111. श्री मदन मनहर, उडगन - कंपनी को समर्थन। नौकरी मिलना चाहिए।
112. श्रीकन्हैया लाल जांगड़े, उडगन - कंपनी को समर्थन।
113. श्री इंद्रजीत सिंह, अमेरी अकबरी - निको प्लांट खुलने से बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। प्लांट से लोगों को फायदा होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष वाले हैं प्लांट स्थापित करने में समर्थन करें।
114. श्री गंगा प्रसाद निर्मलकर, दगौरी - प्लांट खुलने से शिक्षित बेरोजगार को रोजगार का अवसर मिलेगा। मैं कंपनी का स्वागत करता हूँ।
115. श्री गीता प्रसाद जांगड़े, अमेरी अकबरी - जमीन अभी नहीं दिया हूँ। रायपुर में जमीन का रेट 40 लाख है , बिलासपुर का भी 40 लाख है तो यहां का रेट 40 लाख क्यों नहीं है? जो भी सरकारी रेट है वह मिलना चाहिए।

116. श्री रामदयाल डहरिया, उडगन – यहां जो निको कंपनी लगाया जा रहा है। जिसके पास खेती है उन्हीं को रोजगार दिया जायेगा यह नहीं होना चाहिए। यहां के मजदूरों को उनकी योग्यता, खेती एवं निवास स्थान के आधार पर 50 प्रतिशत व्यक्तियों को काम मिले। अच्छा मुआवजा मिले, अस्पताल, बिजली, पानी एवं नालियों की व्यवस्था की जाये। कंपनी स्थापना में मैं अपना योगदान देता हूँ।
117. डॉ. मोहन लाल पात्रे, अमेरी – मैं कृषक हूँ। जो नोवा कंपनी आज से 15 साल पहले खुला। घेरा लगने के पूर्व ग्रामवासियों को लिखित में नौकरी देने को कहा था। उसे पहले पूरा करें। उसके बाद ये जन सुनवाई करें। बेरोजगारों को रोजगार दें।
118. श्री नरेश कुमार यादव, अमेरी अकबरी – 4 भाई हैं उनके पास कुल एक एकड़ जमीन है उन चारों भाईयों को नौकरी दिया जाये। कंपनी को मेरा समर्थन है।
119. श्री भगवती, उडगन – मैं गरीब हूँ। मुझे नौकरी दिया जाये।
120. श्री तिजउ आदिवासी, अमेरी – मेरा जमीन बीच में फंसा है। एक को 7 लाख बताते हैं और एक को 8 लाख बताते। दोनों को बराबर करें। नौकरी दिया जाये। समर्थन।
121. श्री कामता प्रसाद चौबे, दगौरी – समर्थन।
122. श्री रामेश्वर प्रसाद निषाद, अमेरी अकबरी – कंपनी आना चाहिए।
123. श्री संतराम निषाद, अमेरी अकबरी – कंपनी को समर्थन।
124. श्री होरी लाल साहू, उप सरपंच, दगौरी – हमारे गांव के पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। कंपनी खुलना चाहिए।
125. श्री हेमचंद सन्नाट, दगौरी – सिर्फ नौकरी मिलना चाहिए इसी बात को दोहराते जा रहे हैं। भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पास के कंपनी में मात्र 10 प्रतिशत लोग नौकरी कर रहे हैं। हमारे गांव के नागरिक मजदूरी कर रहे हैं। गांव के लोगों का शोषण किया जा रहा है। बाहरी लोग बड़े पोस्ट में कार्य कर रहे हैं। वहां योग्यतानुसार काम नहीं दिया जा रहा था। बोरी उठाने के अलावा कुछ नहीं किया हूँ। बेरोजगार भटक रहे हैं। सरकारी रोड को नोवा कंपनी खा गया है। कंपनी का काम होता है कि किसानों को सुविधा दिया जाये। नोवा कंपनी के अधिकारी यहां के मजदूरों के बारे में क्या किया है? एक भी स्कूल नहीं खोला गया है। हिंदी मिडियम का स्कूल तक नहीं खोला गया है। निको कंपनी अभी अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं लेकिन मैं लिखकर देता हूँ कि यह सब वादा पूरा नहीं होगा। कंपनी लोगों की वास्तविक लाभ को ध्यान देते हुए निर्णय करें।
126. श्री पंचराम निषाद, अमेरी अकबरी – कंपनी को समर्थन। कंपनी खुलना चाहिए।
127. श्रीमती सुकलहीन, पंच अमेरी – निको कंपनी का समर्थन। मेरे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए।
128. श्रीमती कुमारी बाई, अमेरी अकबरी – मेरे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। समर्थन।

129. श्रीमती रेवती बाई मनहर, अमेरी अकबरी – मेरे 5 बेटा हैं पांचों को नौकरी मिलना चाहिए।
130. श्रीमती चंदन बाई, अमेरी अकबरी – आम जनता के बच्चों को शिक्षा और नौकरी प्रदान करें। गली में कीचड़ है उसे कंपनी पक्का बनाकर दें।
131. श्रीमती विपरीत बाई टंडन, दगौरी – जिसके पास खेत नहीं है वे कहां जायेंगे। बाल बच्चा भटकते रहते हैं। सभी को लेकर चलना है सभी को नौकरी मिलना चाहिए। समर्थन।
132. श्री भारत घोसले, उडगन – समर्थन। गांव के हर सुख दुख में कंपनी गांव वालों को साथ दें।
133. श्री चंद्र प्रकाश गेंदले, उडगन – निको कंपनी को समर्थन।
134. श्री उमेद कुमार जांगड़े, उडगन – कंपनी को पूरी तरह से समर्थन।
135. श्री देवचरण शिकारी, अमेरी – निको प्लांट को समर्थन।
136. श्री राजू कुर्रे, उडगन – निको कंपनी को समर्थन।
137. श्री रामलाल, उडगन – कंपनी खुलना चाहिए। समर्थन।
138. श्री तोरण प्रसाद लहरे, अमेरी अकबरी – कंपनी को समर्थन।
139. श्री विश्व मोहन लहरे, दगौरी – समर्थन। रोजगार को ध्यान में रखे।
140. श्रीमती परदेशनीन बाई, दगौरी – कंपनी को समर्थन। हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगा हमें काम मिलेगा।
141. श्रीमती अंबिका बाई, दगौरी – समर्थन।
142. श्रीमती संतोषी बाई, दगौरी – जल्दी कंपनी खोला जाये।
143. श्रीमती सोना बाई, अमेरी – मेरे लड़कों को नौकरी मिलना चाहिए।
144. श्री दुरपती बाई, अमेरी – कंपनी खुलना चाहिए।
145. श्री घनश्याम गहरे, दगौरी – कंपनी खुलना चाहिए। समर्थन।
146. श्री गिरलाल जायसवाल, दगौरी – समर्थन। बेरोजगारों को काम दें। जो काम नहीं जानता है उसे हेल्फरी में काम दें।
147. श्री वीरू गहरे, दगौरी – समर्थन।
148. डॉ. बालमुकुंद सिंह मरावी, काठाकोनी – अनपढ़ लोगों के द्वारा राय मश्वरा लेकर लोक सुनवाई कराया जा रहा है। जो कि गलत है। आदिवासियों का जमीन अस्थानांतरण होता है। औद्योगीकरण होने से यहां नदी और पर्यटन स्थल प्रदूषित होगा। पर्यावरण पर प्रभाव

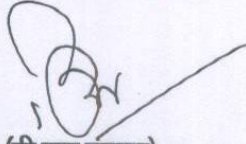
पड़ेगा। जहां भी इंडस्ट्रीज खुला है वहां पर 5 प्रतिशत लोगों को नौकरी मिला है जबकि 95 प्रतिशत बेरोजगार हो जाते हैं। यह लोक सुनवाई कराया जा रहा है वह अनुचित है। यहां कंपनी खोला जा रहा है वह अनुचित है। छ.ग. में अभी तक आदिवासियों को जंगल, बाढ़ या औद्योगिकरण के नाम से खदेड़ा जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ।

149. श्री निर्मल कुमार रात्रे, अमेरी अकबरी – जिसके पास जमीन नहीं है उसे नौकरी मिलेगा क्या? यदि उसको नौकरी मिलता है तो हम कंपनी के समर्थन में हैं।
150. श्री द्वारिका, भोजपुरी – मेरा जमीन कंपनी में गया है। नौकरी मिलना चाहिए।
151. श्री गोवर्धन प्रसाद यादव, दगौरी – समर्थन।
152. श्री बुंदराम, उडगन – समर्थन।
153. श्री आजूराम चंदन, अमेरी अकबरी – मजदूरी करते हुए 50 साल हो गए हैं। यहां जल है तो जीवन है। इतने सारे वक्ता जो बोले सब सही बोले। मजदूरी मिलना चाहिए।
154. श्री वृंदा प्रसाद, उडगन – जो जमीन दिया है उसे जल्दी नौकरी दिया जाये। कंपनी जल्दी खुलना चाहिए।
155. श्री लाला प्रसाद, उडगन – समर्थन।
156. श्री शिव प्रसाद डहरिया, उडगन – समर्थन।
157. श्री नेतराम मनहर, उडगन – समर्थन।
158. श्री खेल कुमार गेंदले, उडगन – समर्थन।
159. श्री टक्कर सिंह जांगड़े, उडगन – समर्थन।
160. श्री गिरधारी लाल निर्मलकर, अमेरी अकबरी – समर्थन।
161. श्री भागवत, दगौरी – समर्थन।
162. श्री रामकुमार, दगौरी – समर्थन।
163. श्री मंतराम, दगौरी – समर्थन।
164. श्री रंगलाल रात्रे, दगौरी – समर्थन।
165. श्री बी.एस. जांगड़े, दगौरी – समर्थन।
166. श्री सीतवन गेंदले, दगौरी – समर्थन।
167. श्री परसराम सन्नाट, दगौरी – समर्थन। सभी को रोजगार दिया जाये।

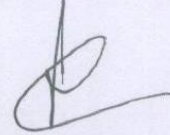
168. श्री तिहारी राम बंजारे, उडगन – समर्थन।
169. श्री रामप्रसाद निषाद, अमेरी अकबरी – समर्थन।
170. श्री राजकुमार मन्दे, अटर्सा – समर्थन।
171. श्री गोविंद राम डहरिया, अटर्सा – समर्थन। नवजवान को नौकरी मिलना चाहिए। गांव का विकास हो। क्षेत्र का विकास हो।
172. श्री नरोत्तम निषाद, अमेरी अकबरी – समर्थन।

अपर कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा जन सामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से 95 व्यक्तियों द्वारा लिखित में आपत्ति/सुझाव/विचार दिये गये, जिनकी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पावती दी गई है। सम्पूर्ण जनसुनवाई कार्यक्रम की विडियोग्राफी कराई गई है। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 1200 जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से 172 वक्ताओं द्वारा उद्योग स्थापना के संबंध में अपना सुझाव/विचार एवं आपत्तियां व्यक्त की गई तथा उपस्थित जन समुदाय में से मात्र 38 लोगो द्वारा अपनी उपस्थिति, लोक सुनवाई उपस्थिति पत्रक में दर्ज कराई है।

जन सुनवाई कार्यक्रम के समापन पर अपर कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही को समाप्त करने की घोषणा की गई।



(बी.एस.ठाकुर)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर (छ.ग.)



अपर कलेक्टर
(एन.के. ठाकुर)
बिलासपुर (छ.ग.)
जिला बिलासपुर (छ.ग.)